न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 195/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. खेमाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 67 वर्ष

2 मोमताराम उर्फ मोबताराम पुत्र मुकनाराम उम्र 71 वर्ष जातियान जाट निवासी सांईयों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. पुनमाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 65 वर्ष
2. मेघाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 80 वर्ष
3. पुरखाराम पुत्र हरचन्दराम उम्र 85 वर्ष
4. ठाकराराम पुत्र हरचन्दराम उम्र 78 वर्ष जातियान जाट निवासी सांईयों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
5. आसुराम पुत्र नथाराम उम्र 75 वर्ष
6. इमियोदेवी पत्नि जुगताराम उम्र 40 वर्ष
7. करणसिंह पुत्र मुलाराम उम्र 35 वर्ष
8. घमंडाराम पुत्र मुलाराम उम्र 30 वर्ष
9. चेनाराम पुत्र नथाराम उम्र 72 वर्ष
10. तुलछाराम पुत्र जुगताराम उम्र 28 वर्ष
11. धुडीदेवी पत्नि मुलाराम उम्र 50 वर्ष
12. पुनमाराम पुत्र पदमाराम उम्र 85 वर्ष
13. प्रकाश पुत्र मुलाराम उम्र 25 वर्ष
14. भूराराम पुत्र मुलाराम उम्र 28 वर्ष
15. मगाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 72 वर्ष
16. हीराराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 45 वर्ष जातियान सुथार निवासी सांईयों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
17. जुगताराम पुत्र वेहनाराम उम्र 75 वर्ष
18. जोगाराम पुत्र वेहनाराम उम्र 72 वर्ष
19. मूलाराम पुत्र वेहनाराम उम्र 55 वर्ष
20. रूपाराम उर्फ जीयाराम उम्र 70 वर्ष
21. राऊराम पुत्र वेहनाराम उम्र 65 वर्ष
22. हीराराम पुत्र वेहनाराम उम्र 60 वर्षजातियान जाट निवासी धीराराम सेंवर [illegible], होडू तहसील सिणधरी जिला [illegible]
23. [illegible]राम पुत्र खेमाराम उम्र 75 वर्ष
24. [illegible]राम पुत्र खेमाराम उम्र [illegible] वर्ष
25. पीकराराम पुत्र खेमाराम उम्र 65 वर्ष
26. मानाराम पुत्र खेमाराम उम्र 60 वर्ष
27. धीराराम पुत्र कोहलाराम उम्र 85 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

28. मोटाराम पुत्र सोनाराम उम्र 65 वर्ष
29 वगतूदेवी पुत्री ठाकराराम उम्र 70 वर्ष जातियान जाट निवासी मेहरोणी सऊओं की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
30. करनाराम पुत्र भूराराम उम्र 75 वर्ष
31. गिरधारीराम पुत्र भूराराम उम्र 70 वर्ष
32 जूंजाराम पुत्र रावताराम उम्र 60 वर्ष
33. धर्माराम पुत्र केसाराम उम्र 70 वर्ष
34. पालू पत्नि केसाराम उम्र 90 वर्ष
35. सुखाराम पुत्र केसाराम उम्र 68 वर्ष
36. सारों पत्नि रावताराम उम्र 80 वर्ष
37. सोनाराम पुत्र भूराराम उम्र 72 वर्ष जातियान मेघवाल निवासी मेहरोणी सऊओं की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
38. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–
1. श्री दीपूसिंह सारण,श्री रामजीवन विशनोई प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल, विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
2. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक –28.03.20205

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा सांईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 2160/308 रकबा 4.9915 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/464 रकबा 0.8819 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2161/308 रकबा 4.7974 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की मेढ़ या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा सांईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 2160/308 रकबा 4.9915 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/464 रकबा 0.8819 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2161/308

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रकबा 4.7974 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से वकील श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा सांईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 2160/308 रकबा 4.9915 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/464 रकबा 0.8819 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2161/308 रकबा 4.7974 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा सांईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 2160/308 रकबा 4.9915 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/464 रकबा 0.8819 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2161/308 रकबा 4.7974 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे। विप्रार्थीगण मात्र प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से आवेदन को कार्यवाही को अनावश्यक लम्बा करना चाहते है।

4.विप्रार्थी सं. 1 के वकील की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में सामाताली खातेदारी के खेत में विभाजन करवाया गया, उस विभाजन के संबंध में विप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में इस आवेदन की कार्यवाही को इसी स्तर पर रोका जावे। दायर अपील के निर्णय से वर्तमान स्थिति अथवा खातेदारी की जोत की परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:19 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो व विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा सांईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 2160/308 रकबा 4.9915 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/464 रकबा 0.8819 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2161/308 रकबा 4.7974 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का

उपखण्ड अधिकारी

अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है जहां तक विप्रार्थी सं. 1 के वकील की बहस के तथ्यों अनुसार उजर एतराज किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अपील किये जाने के दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नही किये है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो सके की विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद विचाराधीन हो। बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में किसी आवेदन को कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी खेत की सीमाओं के निर्धारण हेतु नेखमबंदी के आवेदन को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें, लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सांईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 2160/308 रकबा 4.9915 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/464 रकबा 0.8819 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2161/308 रकबा 4.7974 हैक्टेयर खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:19 IST
Reason: SelfAttested